

नम्बर  
उपस्थित  
हुक्म  
में

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

23/9 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.  
मिस्त्र वास्ते जबाब हेतु दिनांक 7/10/19  
जो पेश हो।

7.10.19 पत्रावली पेश हुई। वास्तु वीरवर्मा  
प्रथम प्रयत्न पर वीरवर्मा ने स्वरत हों  
पेशी हुल्लका की आकर पत्रावली विचार  
...को पेश हो। धाया है।

14/10 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।  
मिस्त्र वास्ते राजीनामा पेश करने हेतु  
दिनांक - 21/10/19 को पेश हो।

21/10 पत्रावली पेश हुई। फकीर पक्षकार उप  
वादी व उतिवादीगण की ओर से राजीनामा  
पेश किया। जो शाहील रीमखल हो।  
वादी व उतिवादीगण ने लोकअदालत  
की भावना से आपस से राजीनामा किया  
गया। वादगस्त नूँमि में वादी व हिस्सा  
19/10/50। ध्यावित रवबा 19.18 की धा  
किये जाने से पक्षकार को आपस में  
वादगस्त नूँमि में उतिवादी व। का नाम  
हयया जाने से दोनों पक्षकार सहमत  
राजीनामा अनुसार वादी को 19.18 की धा  
व उतिवादीगण सख्या 2 व 3 को 30.04  
की धा नूँमि का खातेदार बने किये  
जाने से दोनों पक्ष सहमत हो गया  
इसी प्रकार विभाजन करवाना चाहे है  
अब राजीनामा पेश व निवेदन है कि  
उक्त प्रकार से सलग्न नपरी नकशे  
में वशीर अनुकार हिस्सा बने किये  
जाकर कयवडे की अन्तिम डिक्ली गये  
कराने का आदेश फलाने।

पत्रावली का अवलोकन किया  
गया। वादीगण द्वारा वादपत्र में उतारा कि



21)  $\frac{10}{19}$

प्रतिवादी ए। हरीगाराप को वादगस्त भूमि के स्वामिदार खैराजराप ने वादगस्त भूमि के प्रतिवादी गण के अन्य दो समूह स्वामिदारी भूमि की जमीन को मिटाकर खैराजराप के 43 हिस्से की भूमि का अलग से 43 हिस्सा तथा 10 बीघा भूमि ज्यादा दी गई थी तथा उसके बदले खैराजराप को उसके 43 हिस्से से 10 बीघा भूमि हरीगाराप के हिस्से में से अधिक दी गई तथा उसके बदले में प्रतिवादी ए। को अन्य दो स्वामि से खैराजराप के 43 हिस्से में से 10 बीघा भूमि अधिक देकर प्रतिवादी ए। का एक हिस्सा कराकर नष्ट दिया गया। वादगस्त भूमि में एक हरीगाराप का हिस्सा नहीं है तथा नयी कब्जा भूमि में कब्जा काशन है।

अतः वादीगण का वादफत जमिने राजीनामा से स्वीकृत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मोरानिया नगर के खसरा नम्बर 317 रकबा 50.02 बीघा में वादीगण को 199/501 प्रभावित रकबा 19.18 बीघा भूमि का स्वामिदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण ए। का एक वादगस्त भूमि में से नाम उरथर नामे की स्वीकृति दी जाती है। तथा प्रतिवादी ए. 2 व 3 को 30.04 बीघा भूमि का स्वामिदारी घोषित किया जाता है अन्तिम डिरी जारी हो। सपगत राजीनामा के साथ नजरी नक्शा इस अन्तिम डिरी का भाग रहेगा। आदेश की

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म की  
में जा

FORM NO III

AAP-A  
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकदमा नं. 88 RTA/13 त. 13/19 सन्

सहायक कलेक्टर (नियम 26) मुकाम डो सिन

भूखण्ड नं. ... बनाम हरीशचन्द्र कौर

मुकदमा नं. 88 RTA/13 त. 13/19 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

21/10/19	<p>पालना में तहसीलदार काफ़ी नी को ते हरीर जारी हो। पत्रावली केसल शुभात धोत्र कम्प्लेक्स से काम की जात गरिब दफ़्त हो।</p>	
----------	--	--

सहायक कलेक्टर, घोषिका